



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 06 माह का कठोर कारावास व ₹500 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-341/2022 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धर्मेन्द्र श्रीवास पुत्र शंकरलाल श्रीवास नि0 कांशीराम कालोनी पलराहार कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 06 माह का कठोर कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी राजेश कुमार  
तिवारी



विवेचक-  
उ0नि0 जुबेर खान



पैरोकार- थाना सुमेरपुर  
का0 जगत सिंह